

आउटकम बजट प्रारूप 2018-19

विभाग का नाम – सैनिक कल्याण विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस.डी.जी. – 01, 04, 05, 08,10

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट 2018-19		एस.डी. जी. <u>Goals/ Indicat ors</u>	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018-19	1-4-2017 स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पैूँजीगत			स्थिति (बेस लाइन)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सैनिक मुख्यालय तथा जिला सैनिक कल्याण के अधिकारियों के वेतन आवधि तथा कार्यालयों के संचालन के लिए व्यवस्था व्यय का भुगतान।	विभागीय कार्मिकों को वेतन आवधि तथा कार्यालयों के संचालन के लिए व्यवस्था व्यय का भुगतान।	1320.58 लाख	–	–	निवेशालय एवं 14 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में 260 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु।	255	<ul style="list-style-type: none"> कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन होगा तथा लगभग 1.63 लाख पर्व सैनिकों / विधवाओं की समस्याओं के समाधान करने में सहायक होगा। 	–
2.	विभिन्न युद्धों/सीमान्त झड़पों के शहीद सैनिक विधवाओं/अपंग सैनिकों को देय आवासीय सहायता।	विभिन्न युद्धों/सीमान्त झड़पों के शहीद सैनिक विधवाओं/अपंग सैनिकों को ₹ 2.00 लाख प्रति पात्र के दर से आवासीय सहायता प्रदान किया जाना।	30.00 लाख	–	–	शहीद सैनिकों की विधवाओं, अपंग सैनिकों को आवासीय सहायता, इसमें प्रति वर्ष लगभग 15 पात्रों को ₹ 2.00 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।	07	<ul style="list-style-type: none"> शहीदों की विधवाओं तथा अपंग सैनिकों के आवासीय सहायता प्रदान की जायेगी जिससे उनके आवासों की दशा और अच्छी होगी। 	एक वर्ष
3.	वरिष्ठ सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन एवं पुरस्कार अनुदान।	प्रदेश के निवासी वीरता के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा अलंकरण प्रदान किया जाता है।	3.00 लाख	–	–	वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त 237 पात्रों को धनराशि प्रदान की जायेगी है।	210	<ul style="list-style-type: none"> 237 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊँचा रहेगा तथा नौजवानों को सशस्त्र सेना में जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। 	एक वर्ष
4.	वार-टू सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद अनुदान / एन्युटी।	वार-टू सेना मेडल के पुरस्कार सैनिकों एक मुश्त एवं वार्षिकी प्रदान की जानी है।	550.00 लाख	–	–	वार-टू सेना मेडल के पात्रों की संख्या— 944 है पुरस्कार सैनिकों एक मुश्त एवं वार्षिकी प्रदान की जाती है।	836	<ul style="list-style-type: none"> 944 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊँचा रहेगा अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में जाने के लिये प्रेरित होंगे। 	एक वर्ष
5.	वीर चक्र शृंखला विजेयताओं का राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद पुरस्कार।	वीर चक्र शृंखला विजेयताओं जैसे परम वीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त विजेयताओं पुरस्कार।	150.00 लाख	–	–	वीर चक्र शृंखला परम वीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त विजेयताओं को एक मुश्त एवं वार्षिकी प्रदान किया जाना है वर्तमान में इनकी संख्या — 108 है।	108	<ul style="list-style-type: none"> 114 वीरता पदक विजेताओं का मनोबल ऊँचा रहेगा अधिक से अधिक युवा भारतीय सेना में जाने के इच्छुक होंगे। 	एक वर्ष

6.	उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सेनकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेशन।	उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को जीवनयापन हेतु पेशन अनुदान दिया जाना है।	1310.40 लाख	-	-	राज्य के द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों को शासन द्वारा जीविकोपार्जन हेतु ₹ 8000/- प्रतिमाह की पेशन /अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में इनकी संख्या -1342 है।	1365	<ul style="list-style-type: none"> 1342 द्वितीय विश्व युद्ध पेशनर जो काफी बहु हैं। पेशन / अनुदान के माध्यम से उनको जीवन यापन में सहायता मिलेगी। 	एक वर्ष
7.	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण (कम्प्यूटर प्रशिक्षण	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्न कोर्स चलाये जाते हैं। नागरिक जीवन के प्रति अभियुक्तीकरण, पंजीकृत पूर्व सैनिकों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सेवायोजन हेतु कोचिंग की व्यवस्था एवं रोजगार परक प्रशिक्षण।	50.00 लाख	-	-	पूर्व सैनिकों /उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण के अन्तर्गत 500 पात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा।	378	<ul style="list-style-type: none"> 500 पूर्व सैनिकों / उनके आश्रितों का कौशल विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेरोजगारी कम होगी। कई लोग अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकेंगे। 	एक वर्ष
8.	भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	पूर्व सैनिकों एवं आश्रित बच्चों के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है।	46.00 लाख	-	-	पूर्व सैनिकों एवं आश्रित बच्चों के भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को वेतन एवं प्रशिक्षणियों को निःशुल्क भोजन, वर्दी आदि की व्यवस्था की जाती है।	228	<ul style="list-style-type: none"> लगभग 500 पात्रों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शारीरिक रूप से सेना/पुलिस तथा अद्वैतिक बलों में भर्ती हेतु तैयार किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक पात्र भर्ती हो सकें। 	एक वर्ष
9.	राज्य सैनिक कल्याण परिषद हेतु सहायता।	राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अन्तर्गत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मानदेय इत्यादि का भुगतान किया जाता है।	25.23 लाख	-	-	राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जाता है।	04	<ul style="list-style-type: none"> सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके कार्यों के लिए मानदेय दिया जायेगा। 	एक वर्ष

10.	राज्य के सेवानिवृत्त /सेवारत संचय अधिकारियों एवं सैनिकों को गृहकर में छूट ।	सेवारत सैनिक/ पूर्व सैनिक के स्वामित्व वाले आवासीय भवन, जिनमें वे स्वयं निवास कर रहे हैं को गृहकर में छूट दी जा रही है ।	5.00 लाख	-	-	सेवारत सैनिक/ पूर्व सैनिक के स्वामित्व वाले आवासीय भवन, जिनमें वे स्वयं निवास कर पूर्व सैनिकों /सेवारत सैनिकों एवं विधवाओं को स्वामित्व वाले आवासीय भवन, जिसमें वे स्वयं निवास कर रहे हों को गृहकर में छूट की धनराशि प्रदान की जाती है ।	2176	<ul style="list-style-type: none"> •लगभग 25,000 पूर्व सैनिकों को गृहकर से छूट मिलेगी जिससे उनको वित्तीय लाभ प्राप्त होगा । •पूर्व सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा । •सरकार के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ेगी । 	एक वर्ष
11.	उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था को अनुदान ।	जनपद रुद्रप्रयाग में वायु सेना भर्ती रैली हेतु व्यय की गई धनराशि को उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था को वापस किया जाना ।	4.61 लाख	-	-	पुनर्वास संस्था से ली गई धनराशि की वापस करना ।	-	-	
12.	अशोक चक्र श्रूखला को राज्य सरकार से पुरस्कार ।	इस श्रूखला के अन्तर्गत अशोक चक्र विजेता, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को सम्मान के रूप में एक मुश्त अनुदान एवं वार्षिकी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ।	300.00 लाख	-	-	इस श्रूखला में अशोक चक्र विजेता, शौर्य चक्र तथा कीर्ति चक्र विजेताओं को प्रतिवर्ष भुगतान किया जाना है । वर्तमान में इनकी संख्या -204 है ।	187	<ul style="list-style-type: none"> •204 वीरता पदक पुरस्कार विजेताओं का मनोबल ऊँचा होगा । •प्रदेश के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में जाने के प्रति प्रेरणा मिलेगी । 	एक वर्ष
13.	उत्तराखण्ड शहीद कोष	विभिन्न युद्ध, सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को एक मुश्त अनुदान प्रदान की जाती है ।	200.00 लाख	-	-	विभिन्न युद्ध, सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं /आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹10.00 लाख प्रति पात्र दिया जाना है ।	18	<ul style="list-style-type: none"> •युद्ध विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे उनको स्वयं तथा अपने बच्चों की देखभाल करने में मदद मिलेगी । 	एक वर्ष
14.	एनडीए आई एमए एवं ओटीए हेतु पूर्व प्रशिक्षण योजना ।	उत्तराखण्ड में कूमायू तथा गढ़वाल मण्डल के एक-एक स्कूल में एस.एस.बी पूर्व प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे जिसमें एनडीए आईएमए एवं ओटीए की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अस्थर्थी को 14-21 दिनों का एस.एस.बी का पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना ।	10.00 लाख	-	-	एनडीए आईएमए एवं ओटीए हेतु पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना	20	<ul style="list-style-type: none"> •यूपीएससी की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुये छात्रों को एस.एस.बी के माध्यम से सेना में अधिक से अधिक अस्थर्थियों को प्रोत्साहित करना । 	

15.	सैनिक विश्राम गृह का निर्माण ।	उत्तराखण्ड राज्य में सैनिकों को रहने की सुविधा देना है ।	—	40.00 लाख	—	राज्य स्तरीय जिला एवं तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण किया जाता है ।	05	•प्रदेश के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं /उनके आश्रितों तथा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इन जगहों पर कम खर्च में रहने की सुविधा प्राप्त होगी ।	एक वर्ष
16.	आवासीय भवनों का निर्माण ।	जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत के आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा ।	—	50.00 लाख	—	जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत के आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा ।	—	•30 कार्मिकों को आवासीय भवन उपलब्ध होंगे । •कार्मिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी ।	एक वर्ष
17.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का निर्माण ।	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का निर्माण किया जायेगा ।	—	100.00 लाख	—	02 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का निर्माण किया जायेगा । (जनपद बागेश्वर एवं चम्पावत)	—	•दो कार्यालयों का निर्माण होगा । •प्रत्येक कर्मचारियों को कार्य करने के लिये उचित स्थान मिलेगा । •कार्यालय की कार्य क्षमता बढ़ेगी ।	एक वर्ष
18.	गढ़वाल राइरफल्स के वार विडो के बच्चों हेतु देहरादून में छात्रावास का निर्माण	गढ़वाल राइरफल्स के वार विडो के बच्चों हेतु देहरादून में छात्रावास का निर्माण किया जाना है ।	—	1.00 लाख	—	गढ़वाल राइरफल्स के वार विडो के बच्चों हेतु देहरादून में छात्रावास हेतु टोकन मनी की गई है ।	—	—	
19.	देहरादून में स्टेट वार मेमोरियल का निर्माण	देहरादून में स्टेट वार मेमोरियल का निर्माण कराना ।	—	50.00 लाख	—	—	—	—	
		योग —	4004.82	241.00	—				
			4245.82 लाख						